कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर

संख्या /जि0आ0अधि0/दुकान बन्दी/लो0सा0नि0–2019/कुशीनगर/दिनांक 15-5-19

आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– 691 ई–2/तेरह–2019 दिनांक 01.04.2019 के अन्तर्गत लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के चुनाव के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिनांक 23.05.2019 को नशाबन्दी का दिन घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधित) नियमावली, 1999 जिसे आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या–5131/दस–97बी/लाइसेंस–99–2000 दिनांक 10.09.1999 द्वारा प्रकाशित किया गया है, के प्राविधानों के अनुसार संयुक्त प्रान्त अधिनियम–1910 की धारा–59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं डॉ अनिल कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के अवसर पर जनपद कुशीनगर में मतदान तिथि 19.05.2019 के अवसर पर लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद कुशीनगर में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी, भांग के फुटकर अनुज्ञापन, माडलशाप, सी0एल0–2, एफ0एल0–2, एफ0एल0–2बी एवं एफ0एल0–16/17 सहित समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 17.05.2019 की सायं 6:00 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व) से मतदान दिनांक 19.05.2019 की सायं 6:00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक, जो भी बाद में हो की बन्दी का आदेश देता हूँ। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।

(डॉ अनिल कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
कुशीनगर।

संख्या 281-88 /जि0आ0अधि0/दुकान बन्दी/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01– पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस आशय से कि अपने स्तर से समस्त पुलिस अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

02– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/(वि0/रा0), कुशीनगर।

03– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।

04– जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

05– सम्बन्धित अनुज्ञापियों को अनुपालनार्थ।

06– जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

07– आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, 2, 3 व 4 जनपद कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अपराध निरोधक क्षेत्र के अनुज्ञापियों को अवगत कराते हुए आदेश का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

08– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
कुशीनगर।